

कुलानुशासक कार्यालय
गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार

क्रमांक/2018/


दिनांक: 19-2-2018

सूचना

यह देखने में आया है कि छात्र व छात्र संगठन विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी स्थान पर व गेट न0 3 के नजदीक बैनर लगा देते है यह विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध है । भविष्य के लिए यह आदेश दिये जाते हैं कि बैनर इत्यादि लगाने के लिए मैटर दिखाकर इसकी पूर्वानुमति प्रोक्टर से ली जाए । विश्वविद्यालय परिसर में बगैर अनुमति के बैनर न लगाए जाए । अगर ऐसा पाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । विश्वविद्यालय परिसर में बैनर लगाने के स्थान निश्चित है इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर बैनर नहीं लगाए जा सकते । इस सम्बन्ध में प्रोक्टोरियल बोर्ड का निर्णय दिनांक 26.08.2014 को पहले भी जारी किया गया है ।

यह भी देखने में आया है कि बैनर लगा कर छात्र इन्हें उतारते नहीं है जिसके लिए निर्देश दियेजाते हैं कि कार्यक्रम से एक दिन पूर्व बैनर अनुमति लेकर लगाए जाए व कार्यक्रम समापन के अगले दिन यह बैनर उतार लिये जायें ।

कुलानुशासक


19/02/18

प्रति:

1. सभी विभागाध्यक्ष, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार
2. सचिव कुलपति महोदय (कुलपति महोदय की सूचनार्थ) गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार
3. अधीक्षक कार्यालय कुलसचिव (कुलसचिव महोदय की सूचनार्थ) गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार